

संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय विनियमन तथा बैंकों से उनका संबंध

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) वित्तीय सेवाओं की पहुँच को विस्तृत करने तथा वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और विविधता बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। बैंकिंग प्रणाली के पूरक के रूप में उनकी पहचान बढ़ रही है। ये कंपनियाँ वित्तीय संकट के समय आघात सहने और जोखिम बाँटने की क्षमता रखती हैं। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों में भिन्न-भिन्न स्तरों के विनियमन लागू होने तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए भी अलग-अलग विनियमन होने से विनियमन की असमान व्याप्ति के कारण कुछ मुद्दे उठे हैं। अतएव, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में समान अवसर, विनियामक समरूपता और विनियामक अंतरपणन (आरबिट्राज) जैसे मुद्दों की जाँच करने के लिए एक आंतरिक समूह गठित किया था। आंतरिक समूह की सिफारिशों के आधार पर तथा उस पर प्राप्त हुई प्रतिसूचना को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से (सिस्टमिकली) महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समग्र वित्तीय विनियमन तथा बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध से जुड़े मुद्दों के लिए एक संशोधित ढाँचा स्थापित किया जाए। तदनुसार, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से प्रतिसूचना प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देश का प्राख्य 3 नवंबर 2006 के पत्र बैंपविवि. सं. एफएसडी. 556/ 24.01.02/2006-07 द्वारा जारी किया गया था। प्राप्त हुई प्रतिसूचना के आधार पर प्राख्य दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन किए गए तथा इस संबंध में और सुझावों के लिए 30 नवंबर 2006 के

पत्र बैपविवि. सं.एफएसडी. 5046/ 24.01.028/2006-07 द्वारा द्वितीय प्राख्य दिशानिर्देश जारी किए गए। प्रतिसूचना प्राप्त होने के बाद अब अंतिम दिशानिर्देश कार्यान्वयन करने के लिए जारी किए जा रहे हैं।

विनियामक ढांचे में संशोधन

2. बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यों के विभिन्न पहलुओं के लिए भिन्न-भिन्न विनियामक अपेक्षाओं से उठने वाले प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में तथा प्रस्तावित संशोधन के लिए व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक ढांचे में निम्नलिखित संशोधन किए जा रहे हैं:-

ए. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों
(एनबीएफसी)-एनडी-एसआई के लिए विनियामक ढांचा

(i) एनबीएफसी-एनडी-एसआई का निर्धारण

सभी एनबीएफसी-एनडी जिनकी परिसंपत्तियाँ अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 100 करोड़ रुपए या अधिक हैं, उन्हें संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एनबीएफसी-एनडी माना जाएगा।

(ii) एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात

एनबीएफसी-एनडी-एसआई जोखिम भारत परिसंपत्तियों की तुलना में न्यूनतम पूंजी (CRAR) का 10% अनुपात बनाए रखेंगी। इसे बाद में परिवर्तित कर 31 मार्च 2010 को 12% तथा 31 मार्च 2011 को 15% कर दिया गया¹। एनबीएफसी-डी के लिए जोखिम भारत परिसंपत्तियों की तुलना

¹ 24 अप्रैल 2009 के कंपरि. सं. 138 तथा 26 मई 2009 की अधिसूचना सं. 206 द्वारा संशोधित।

में पूंजी का मौजूदा निर्दिष्ट 12% या 15% का अनुपात, जो भी लागू हो, बना रहेगा।

(iii) एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए एकल/ग्रुप जोखिम

एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए जोखिम मानदण्ड निर्धारित किए गए थे।

इसके अलावा, एनबीएफसी-एनडी-एसआई को सूचित किया गया था कि वे एकल/ग्रुप के संबंध में जोखिम संबंधी नीति बनाएं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता की निधियों तक पहुंच न रखने वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआई जोखिम सीमा की भावना के अनुरूप उचित छूट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकती हैं।

बी. परिसंपत्ति वित्त कंपनियों के लिए अतिरिक्त एकल जोखिम मानदण्ड

(iv) 6 दिसंबर 2006 के परिपत्र सं. गैबैपवि. नीति प्रभा. कंपरिप. सं. 85/03.02.089/2006-07 के अनुसार उत्पादक/आर्थिक गतिविधियों के लिए स्थावर/भौतिक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण में लगी कंपनियों को उक्त परिपत्र में निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार परिसंपत्ति वित्त कंपनी माना जाएगा।

एनबीएफसी-डी तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए किसी एक पार्टी तथा पार्टियों के एक ग्रुप के लिए निर्दिष्ट जोखिम मानदण्डों में दी गई सीमा को परिसंपत्ति वित्त कंपनियाँ अपवादात्मक परिस्थितियों में अपनी

स्वाधिकृत निधियों के और 5% तक किसी एक पार्टी तथा पार्टियों के एक ग्रुप के लिए अपने निदेशक बोर्ड की अनुमति से पार कर सकती हैं।

सी. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों का स्वतः अनुमोदित मार्ग से विस्तार

- v) स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत स्थापित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को केवल उन्हीं 19(18)² गतिविधियों को करने की अनुमति होगी जो स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अनुमत हैं। उनसे भिन्न किसी अन्य गतिविधि को करने से पहले उन्हें विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन लेने की जरूरत होगी। इसी प्रकार यदि किसी कंपनी को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अंतर्गत (जैसे साफ्टवेयर) किसी क्षेत्र विशेष में प्रवेश की अनुमति मिली है और बाद में वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में काम करना चाहती है तो उसे लागू न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों और अन्य विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।

प्रभावी तारीख और संक्रांति

3. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ नए संशोधित विनियामक ढांचे के कतिपय तत्वों का अनुपालन करने में संप्रति समर्थ न हों, इनके अनुपालन के लिए मार्च 2007 के अंत तक की अवधि संक्रांति काल के रूप में दी गई थी। तदनुसार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को संशोधित ढांचे के सभी तत्वों/बातों का अनुपालन 1 अप्रैल 2007

² 12 मार्च 2008 के प्रेस नोट सं. 1 के द्वारा बदला गया।

से सुनिश्चित करना था। यदि किसी एनबीएफसी-एनडी-एसआई को अनुपालन के लिए मुहलत (अधिक समय) की जरूरत रही हो तो उसे 31 जनवरी 2007 को कार्यालय कारोबार की समाप्ति से पूर्व गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को उक्त अवधि में अनुपालन न कर पाने के कारणों का उल्लेख करते हुए और जिस अवधि में सभी बातों का अनुपालन कर सकती थी का ब्योरा देते हुए आवेदन करना था।

कतिपय वर्गों के लिए लागू होना

4. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत संबंधित पैराग्राफों में किए गए विनिर्देशानुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे, केवल निम्नलिखित वर्गों को छोड़कर-

कंपनी अधिनियम की धारा 617 में परिभाषित सरकार के स्वामित्ववाली कंपनियाँ जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 के कतिपय उपबंधों से संप्रति छूट प्राप्त हैं। यह प्रस्ताव है कि जमा स्वीकार करनेवाली एवं प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उक्त निदेश के अंतर्गत लाया जाए जो मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुस्यू होगा जिसमें इस परिपत्र में शामिल मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल हैं। हालांकि, किस तारीख से वे इस विनियामक ढांचे का पूरी तरह अनुपालन करेंगी, इसका निर्णय बाद में होगा। इन कंपनियों से अपेक्षित था कि वे सरकार से परामर्श करके गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के

लिए अमल में आने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों के विभिन्न तत्वों/मानकों के अनुपालन के लिए योजना बनाएं और उसे रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को 31 मार्च 2007 तक प्रस्तुत करें³।

संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने/ न धारण करने वाली
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के लिए पर्यवेक्षी
ढांचा

5. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली एनबीएफसी हेतु विनियामक ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे पूंजीगत निधियों, जोखिम-परिसंपत्ति अनुपात, आदि से संबंधित 31 मार्च को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए एनबीएस-7 में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की प्रणाली लागू करें। ऐसी पहली विवरणी 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाए। प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के अनुवर्ती 3 माह के भीतर इस विवरणी को प्रस्तुत किया जाए।

6. ऐसी विवरणियाँ इलेक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत की जाएं और इसके लिए एनबीएफसी-एनडी-एसआई इस विभाग के केंद्रीय कार्यालय के सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग से "यूजर आईडी" और "पासवर्ड" के लिए संपर्क करें ताकि वे वेब से विवरणी प्रस्तुत कर सकें। अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत

³ 12 दिसंबर 2006 के परिपत्र सं. गैर्बैपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं.86/03.02.089/2006-07 में ब्योरे दिए गए हैं।

हस्ताक्षरित विवरणी की एक हार्ड कापी गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए जिसके अधिकार-क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है।⁴

संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता, तरलता (liquidity) और प्रकटीकरण मानदण्डों के संबंध में दिशानिर्देश (मार्गदर्शी सिद्धांत)

7. जमाराशियाँ स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपनी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए विवेकपूर्ण विनियमन के अधीन हैं। तथापि, जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ न्यूनतम विनियमन के अधीन हैं। वित्तीय क्षेत्र के विकास एवं एकीकरण के आलोक में यह महसूस किया गया कि वित्तीय सेवाएं देने वाली संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कंपनियों को समुचित विनियामक ढांचे के अंतर्गत लाया जाए ताकि संपूर्ण प्रणालीगत जोखिम को नियंत्रित किया जा सके। अस्तु प्रथम कदम के रूप 12 दिसंबर 2006 के परिपत्र सं. गैबैंपवि. नीति प्रभा. कंपरि. सं. 86/03.02.089/2006-07 में यह सूचित किया गया था कि, अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, जिन जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए या अधिक हैं, उन्हें संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से

⁴ 27 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं.93/03.05.002/2006-07 में ब्योरे दिए गए हैं।

महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ माना जाएगा और ऐसी संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण, जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता तथा जोखिम मानदण्डों को सम्मिलित करके विशिष्ट विनियामक ढांचा 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया था।

8. इस विनियामक ढांचे के संबंध में अप्रैल 2007 से हुए अनुभव की समीक्षा करने पर यह महसूस किया गया कि पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं में वृद्धि की जाए और तरलता प्रबंधन तथा रिपोर्टिंग के साथ-साथ प्रकटीकरण मानदण्डों के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत लागू किए जाएं। तदनुसार, संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण, जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उल्लिखित पहलुओं से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रास्य जनता से अभिमत प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर 2 जून 2008 को रखा गया था। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया था और वे "गैर बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियाँ न स्वीकार या धारण करने वाली) कंपनियाँ विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007" के नाम से जारी किए गए थे।⁵

पूंजी पर्याप्तता

9. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे 1 अप्रैल 2007 से जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में न्यूनतम 10% का पूंजी अनुपात बनाए रखें। तथापि, हाल की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उच्च जोखिमवाली उधार राशियों से जुड़े जोखिमों तथा दीर्घ अवधि

⁵ 1 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं. गैबैपवि. 200/मुमप्र(पीके)/2008 ।

पर उत्पादन कर सकने वाली परिसंपत्तियों के निधीयन हेतु अल्पावधि निधियों पर निर्भरता के मद्देनजर इन कंपनियों की गतिविधियों के जुड़ाव से संपूर्ण प्रणालीगत जोखिमों के बढ़ने की चिंता उत्पन्न हो गई। एतदर्थ किसी आघात को बरदाश्त करने के लिए कुशन बढ़ाने हेतु पर्याप्त पूंजी प्रभार उपलब्ध कराने के महत्त्व के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू मौजूदा जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में न्यूनतम 10% के पूंजी अनुपात (CRAR) को 31 मार्च 2009 तक बढ़ाकर 12% एवं 31 मार्च 2010 तक 15% (विंदु) किया जाए।⁶ तथापि, मौजूदा आर्थिक वातावरण में ईक्विटी पूंजी जुटाने में होने वाली कठिनाईयों के मद्देनजर, इन्हें क्रमशः 31 मार्च 2010 एवं 31 मार्च 2011 के लिए आस्थगित किया गया।⁷

तुलन पत्र में प्रकटीकरण

10. उल्लिखित चिंता के मद्देनजर, संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों संबंधी प्रकटीकरण मानदण्डों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष से अपने तुलन पत्र में निम्नवत अतिरिक्त प्रकटीकरण करें:

⁶ 1 अगस्त 2008 की अधिसूचना सं. गैबैपवि. 200/मुमप्र(पीके)/2008 ।

⁷ 24 अप्रैल 2009 के परिपत्र सं. गैबैपवि. नीति प्रभा./कंपरि. सं. 138/03.02.002/2008-09 द्वारा संशोधित।

जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी - अनुपात (CRAR)

रियल इस्टेट सेक्टर(स्थावर संपदा क्षेत्र) के संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों जोखिम; तथा

परिसंपत्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

इस अतिरिक्त सूचना के प्रकटीकरण के लिए फार्मेट, 1 अगस्त 2008 के कंपरि. सं. गैबैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 125/03.05.002/2008-2009 में दिया गया है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ पूंजी बढ़ाने के विकल्पों में बढ़ोत्तरी

11. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-NDSI) द्वारा उनके कारोबार बढ़ाने एवं विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि वे परिपत्र में अंतर्विष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप, बेमियादी ऋण लिखत (PDI) जारी करके अपनी पूंजीगत निधियों में बढ़ोत्तरी कर सकती हैं। ऐसे बेमियादी ऋण लिखत (PDI), कंपनी के पिछले लेखा वर्ष के 31 मार्च को उसकी कुल टियर I पूंजी के 15% की सीमा तक टियर I पूंजी में शामिल किए जाने के योग्य/पात्र होंगे।

(29 अक्टूबर 2008 के कंपरि. सं. गैबैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 131/03.05.002/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की रेटिंग

12. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कमर्शियल पेपर, डिबेंचर आदि जैसे वित्तीय उत्पाद भी जारी करती हैं जिनकी रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित की जाती है। ऐसे उत्पादों को दी गई रेटिंग एजेंसियों द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से बदल सकती है। अस्तु यह निर्णय लिया गया है कि (जमाराशियाँ स्वीकारने वाली या न स्वीकारने वाली) सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनकी परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए या अधिक हैं अपने ऐसे वित्तीय उत्पादों की रेटिंग के न्यूनीकरण/ उच्चीकरण की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में ऐसी जानकारी रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को देंगी जिनके अधिकार क्षेत्र में उनका पंजीकृत कार्यालय कार्यरत है।

(4 फरवरी 2009 का परिपत्र गैर्बैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 134/03.10.001/2008-09 देखें)

संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-ND-SI) का दर्जा देने संबंधी मानक

13. जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्तियाँ तुलनपत्र की तारीख को 100 करोड़ रुपए से कम हो सकती हैं किन्तु बाद में कारोबार विस्तार योजना/प्लान सहित अनेकानेक कारणों से अगले तुलनपत्र की तारीख से पूर्व उनमें वृद्धि हो सकती है। इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार जब किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ रुपए या अधिक हो जाएंगी वैसे ही वह कंपनी यथोक्त संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में लागू विनियामक अपेक्षाओं के दायरे में आ जाएगी, भले ही अंतिम

तुलनपत्र की तारीख को उसकी ऐसी परिसंपत्तियाँ कम ही क्यों न रही हों। अस्तु यह सूचित किया जाता है कि जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली ऐसी सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जैसे ही 100 करोड़ रुपए या अधिक परिसंपत्तियों के स्तर को प्राप्त कर लेती हैं वैसे ही, ऐसा स्तर प्राप्त करने की तारीख पर विचार किए बिना, वे संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में लागू विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी।

यह भी देखने में आया है कि गतिशील माहौल में अस्थायी उतार-चढ़ाव के कारण, न कि वास्तव में, किसी माह विशेष के दौरान किसी कंपनी की परिसंपत्तियाँ 100 करोड़ से कम हो जाएं। ऐसे मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि कंपनी महत्त्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों पर मासिक विवरणी भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करती रहेगी तथा संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जमाराशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में लागू मौजूदा निदेशों का अनुपालन करती रहेगी जब तक कि उसका आगामी लेखापरीक्षित तुलन रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न हो जाए एवं इस संबंध में रिज़र्व बैंक से विशिष्ट छूट के लिए अनुमति न मिल जाए।

(4 जून 2009 के कंपरि. सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 141/03.10.001/2008-2009 में ब्योरे दिए गए हैं)

परिशिष्ट

क्र.	परिपत्र सं.	दिनांक
1.	गैबैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 45/02.02/2004-2005	13 नवंबर 2004
2.	गैबैपवि.(पनिप्र.) कंपरि. सं. 57/02.05.15/2005-06	6 सितंबर 2005
3.	गैबैपवि.(कनिप्र I) कंपरि. सं. 67/21.05.15/2005-06	5 अप्रैल 2006
4.	गैबैपवि.(कनिप्र I) कंपरि. सं. 69/21.05.15/2005-06	2 जून 2006
5.	गैबैपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं.86/03.02.089/2006-07	12 दिसंबर 2006
6.	गैबैपवि.(नीति प्रभा.)/कंपरि. सं.90/03.10.001/2006-07	23 फरवरी 2007
7.	गैबैपवि.नीति प्रभा./कंपरि. सं.93/03.05.002/2006-07	27 अप्रैल 2007
8.	गैबैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 125/03.05.002/2008-2009	1 अगस्त 2008
9.	गैबैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं.	29 अक्टूबर 2008

	131/03.05.002/2008-2009	
10.	गैबैपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं. 132/22.10.72/2008-09	23 दिसंबर 2008
11.	गैबैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि.सं. 134/03.10.001/2008-09	4 फरवरी 2009
12.	गैबैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 136/03.10.001/2008-2009	18 फरवरी 2009
13.	गैबैपवि.नीति प्रभा./ कंपरि. सं. 138/03.02.002/2008-2009	24 अप्रैल 2009
14.	गैबैपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 141/03.10.001/2008-2009	4 जून 2009
15.	गैबैपवि.नीति प्रभा. कंपरि. सं. 169/22.05.02/2009-10	22 अप्रैल 2010